निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-1290 /बा0वि0परि0/लेखा/2018–19, दिनांक : 21 जनवरी, 2019

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–36/2016–सी0डी0–I, दिनांक 23.11.2017 के क्रम में शासन के पत्र संख्या–250/60–2–19–2/3(49)/05, दिनांक 21.01.2019 के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के किराये में वृद्धि करते हुए निम्नवत् दरें निम्न शर्तो के साथ निर्धारित की गयी है :–

1. शहरी क्षेत्र – रू0 4000/– प्रतिमाह
2. ग्रामीण क्षेत्र – रू0 1000/– प्रतिमाह
3. मेट्रोपोलिटन शहरों हेतु – रू0 6000/– प्रतिमाह

किसी भी भवन को किराये पर लेने के लिए निम्न् सुविधाओं की पूर्ति अनिवार्य है।

- आंगनवाड़ी केन्द्र में 500 से 600 वर्गफिट की जगह हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय की व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो।
- विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं तथा साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो।

शासनादेश संख्या–ए–2–1092/दस–2011–24(7)–95, दिनांक 25.11.2011 में निर्धारित किराये के अनुसार ही दरों का निर्धारण किया जायेगा। उक्त प्रस्तर–1 में इंगित किराया अधिकतम अनुमन्य किराया है।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन किराये पर लिये जाने हेतु जनपद के समस्त केन्द्रों के लिए एक साथ विज्ञापन दिया जायेगा और इसको जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तहसील, विकास खण्डों, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराये के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होगें। समिति की संस्तुति के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का निर्धारण किया जायेगा।